

शेखावाटी यात्रा के पहले दिन सीकर जिले में मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत हुआ

जनता और कार्यकर्ताओं ने यमुना जल तथा बजट घोषणाओं के लिये मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शेखावाटी का किसान बहुत मेहनती है तथा यहाँ का युवा देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिये भी आगे रहता है।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार से शेखावाटी के तीन दिवसीय दौर पर हैं। इस यात्रा के पहले दिन उन्होंने सीकर में जनसुनवाई की।

गया यमुना जल समझौता रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद यमुना जल समझौते पर काम करते हुए, टास्क फोर्स का गठन हुआ और डीपीआर बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया। शेखावाटी क्षेत्र में यमुना का जल आने से किसान को फायदा मिलेगा। हम राजस्थान की आठ करोड़ जनता के लिए काम करते हैं।

इस अवसर पर, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खरौं, विधायक गोवर्धन वर्मा, कुलदीप धनखड़, जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़ सहित, विभिन्न जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता व बड़ी संख्या में

आमजन उपस्थित थे। वहाँ, मुख्यमंत्री का खण्डेला के रिंगस में भाजपा कार्यकर्ताओं और आमजन की ओर से अभिनंदन किया गया, मुख्यमंत्री ने कहा कि 2०0 करोड़ रुपये के विकास कार्य की सीमागत खण्डेला विधानसभा क्षेत्र को दी गई है। इस अवसर पर विधायक सुभाष मील, राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेन्द्र नायक सहित, विभिन्न जनप्रतिनिधिगण, भाजपा कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दांतारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पलसाना में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया, जिसके पश्चात

आयोजित की गई जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। हमने राजस्थान के 2०0 विधानसभा क्षेत्रों में विकास करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि लंबे वक्त तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन शेखावाटी के लिए यमुना का जल नहीं ला पायी, जबकि हम राजस्थान की हर समस्या के समाधान के लिए संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र का किसान बहुत मेहनती है, वहाँ, यहां का युवा देश की सीमाओं की रक्षा करने में भी आगे रहता है। उन्होंने कहा कि कुंभाराम लिपट के लिए भी हमने बजट में वित्तीय प्रावधान किया है।

मुख्य अभियन्ता ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जानकारी नहीं दी गई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि आगामी सुनवाई से तीन दिन पहले अदालत में रिकॉर्ड पेश कर दिया जाता है तो फिर मुख्य अभियंता को आने की जरूरत नहीं है।

चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आनंद शर्मा ने यह आदेश मामले में लिए गए स्वरहित प्रस्तावन पर सुनवाई करते हुए दिए।

गौरतलब है कि पूर्व में राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया था कि हाईकोर्ट ने सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की साल 1947 और 1955 की स्थिति पुनः कायम करने के निर्देश दिए थे। इसकी पालना में भरतपुर की सीएफसीडी के किनारों पर 272 अतिक्रमण चिह्नित किया गए थे। प्रशासन इनमें से 171 से अधिक अतिक्रमणों को हटा चुका है। वहीं दूसरी ओर, प्रभावितों की ओर से कहा गया था कि वे साल 1947 से पहले से इस जमीन पर काबिज हैं। अदालत ने मामले में 21 नवंबर, 2०24 को आदेश जारी करते हुए, सीएफसीडी के मौजूदा स्थल पर राजस्व मानचित्र को सुपर इंपोज करते हुए मानचित्र पेश करने को कहा था।

धनखड़ की टिप्पणी ने भारी विवाद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दाखिल करने का समय दिया है।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणियों को न्यायपालिका के हस्तक्षेप की प्रत्यक्ष आलोचना के रूप में देखा जा रहा है, जिससे विवाद गहरा गया है। उन्होंने कानून बनाने में संसद की सर्वोच्चता पर जोर दिया और न्यायिक अतिक्रमण के खिलाफ चेतावनी दी। कई लोगों ने इन टिप्पणियों को, वक्फ अधिनियम संशोधनों पर न्यायपालिका की चल रही सुनवाई को प्रभावित करने का प्रयास माना है।

संशोधित वक्फ अधिनियम के समर्थकों का कहना है कि ये सुधार वक्फ बोर्डों में पारदर्शिता और समावेशिता (इन्क्यूसिविटी) को बढ़ाने के लिए हैं। इस अधिनियम में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों को वक्फ बोर्डों में शामिल

करने का प्रस्ताव है, जिसका लक्ष्य भारतीय समाज की विविधता को दर्शाना है। तथापि, अधिनियम के आलोचकों का मानना ​​है कि ये बदलाव मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता का उल्लंघन करते हैं। एआईएनआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इन संशोधनों को धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला करार दिया है और सरकार पर हिंदुत्व एजेंडा लागू करने का आरोप लगाया है।

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित, कई संगठनों ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनका तर्क है कि ये संशोधन वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता को कमजोर करते हैं और संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत

प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। जैसे-जैसे एक सप्ताह की समय सीमा नजदीक आ रही है, सबकी निगाहें केंद्र सरकार का आगामी हलफनामे पर टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 मई को लिया जाने वाला फैसला, वक्फ (संशोधन) अधिनियम के भविष्य और विधायी अधिकार तथा न्यायिक निगरानी (जुडीशियल ओवरसाइट) के बीच संतुलन तय करने में निर्णायक साबित होगा।

धनखड़ की राजनीतिक भूमिका को लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या उनका न्यायपालिका से टकराना उचित है, और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ इसी तरह के उनके व्यवहार को याद किया जा रहा है।

बार बार पूर्व मु.मंत्री अपनी पीठ ठोकते हैं, कि उनके शासन में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निर्माण करने के आदेश जारी करवाना, कुछ गिनी कुंजी कंपनियों की मदद से फंड की राशि की हेराफेरी करने जैसा ही प्रतीत होता है। विशेषकर इस आरोप को इस तथ्य से और बल मिलता है कि जिस सरकारी अस्पतालों में कोविड महामारी के दौरान आई.सी.यू./एन.आई.सी.यू बनाये गये थे, उनमें स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक मानकों का पालन नहीं किया गया। ये मानक संक्रमण रोकने के लिए आवश्यक होते हैं। महंगी दरों पर आई.सी.यू. का निर्माण किया गया। ज्यादातर अस्पतालों में कोई नया निर्माण

अप्रैल 2०20 को भी दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनके अनुसार, आई.सी.यू. जैसे स्थायी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं थी, लेकिन गहलोत सरकार के नियमों का उल्लंघन कर उक्त बड़ी राशि को खर्च कर दिया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2०05 और 8 अप्रैल 2०15 को जारी निर्देशों के अनुसार, राज्य आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आवश्यक मानकों का पालन नहीं किया का निर्माण, लम्बी अवधि अथवा स्थायी परम्पत का कार्य नहीं करवाया जा सकता तथा ऐसे खर्चें राज्य सरकार को अपने बजट से करने चाहिए। हेरानी की

राशि आई सी यू/पी आयी सी यू तथा एनआई सी यू हेतु उपकरणों की खरीद सहित, टर्नकी निर्माण शामिल) की राशि मुहैया करवाई थी।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय के नियमानुसार, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के फण्ड के उपयोग के लिए वर्ष 2०15, फिर वर्ष 2०22 और फिर वर्ष 2०23 में नियम-कायदे संशोधित किए गए थे।

गौरतलब है कि इसी नियम के चलते राज्य के एस.डी.आर.एफ. विभाग ने जोधपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में 4 वार्ड बनाने हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा भेजे गए 11० करोड़ के प्रस्ताव को यह कहते हुए वापस भिजवा

पंजाब ने विदेश से संचालित 2 आतंकवादी मॉड्यूल ध्वस्त किये

चंडीगढ़ , 19 अप्रैल। पंजाब पुलिस ने बम्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) द्वारा विदेश से संचालित किए जा रहे दो अलग-अलग आईएसआई समर्थित आतंकवादी मॉड्यूल का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ करके, राज्य में अशांति पैदा करने की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है और एक लॉन्चर सहित दो रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) तथा भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं।

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने शनिवार को बताया कि दो अलग-अलग खुफिया ऑपरेशनों में काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) जालंधर और जिला पुलिस बटाली ने दोनों मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया है और एक नाबालिग सहित, 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

यादव ने कहा, पाकिस्तान स्थित आईएसआई द्वारा प्रायोजित आतंकी मॉड्यूल को बीकेआई द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, जिसके दो प्रमुख संचालन नोड थे- फ्रांस स्थित सतनाम सिंह उर्फ सता और ग्रीस स्थित जसविंदर सिंह उर्फ मन्नू अगवान।

जेडीए के तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जुमना भी लगाया है। वहाँ, अदालत ने मामले में रिश्तव राशि का लिफाफा लेने वाले जीप चालक कैलाश चौधरी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि ऐसे कृत्यों से आमजन में लोक सेवकों के प्रति अविश्वास का भाव पैदा होता है। ऐसे में अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मंजुला जैन ने बताया कि राम बच्चन यादव ने 7 मई, 2०1० को एसीबी ने 1० मई को तत्कालीन प्रवर्तन

यमुना जल लाने की प्रगति की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल राखटूदूत कोटा, 20 अप्रैल, 2025

राजस्थान व हरियाणा की टास्क फोर्स की संयुक्त बैठक 25 अप्रेल को हिसार में होगी

■ झुंझुनूं और चूरू जिले में यमुना का पानी लाने की योजना के त्वरित व प्रभावी क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार ने अति मुख्य अभियंता, यमुना जल का नया पद सृजित किया है।

30 वर्षों से गतिरोध बना हुआ था। इस गतिरोध को दूर करते हुए, 17 फरवरी को राजस्थान व हरियाणा के मुख्यमंत्रियों एवं केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री की उपस्थिति में समझौता हुआ।

समझौते के तहत, प्रथम चरण में ताजेवाला हैड (हथिनीकुण्ड बैराज) से पेयजल हेतु जल को राजस्थान लाने के लिए प्रवाह प्रणाली की संरचना अब भी डीपीआर बनाने पर सहमति बनो। इस

योजना के तहत, तीन भूमिगत पाइपलाईनों के माध्यम से हथिनीकुंड बैराज से चुरू जिले में हांसियावास जलाशय तक जल लाया जाना प्रस्तावित है। ऊपरी यमुना बेसिन (हथिनीकुण्ड बैराज के अपस्ट्रीम) में रेणुकाजी व लखवार स्टोरेज परियोजनाओं का एमओयू हो चुका है, जिसके अनुरूप राजस्थान द्वारा हिस्सा राशि 77 करोड़ 9० लाख रुपये का भुगतान हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड को किया जा चुका है। किशाऊ का एमओयू होना शेष है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद हथिनीकुण्ड बैराज पर राजस्थान के हिस्से का 2०1 एमसीएम जल मानसून पश्चात् वर्ष पर्यंत इन्हीं पाइपलाइनों से राजस्थान को उपलब्ध हो सकेगा।

योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा अलग से अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, यमुना जल का नवीन पद सृजित किया गया है।

दिल्ली में चार मंजिला बिल्डिंग गिरी, 11 की मौत

नई दिल्ली, 19 अप्रैल। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में शुक्रवार देर रात द्वाई बजे 4 मंजिला बिल्डिंग दह गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हुए। इनमें से 5 गंभीर रूप से घायलों का इलाज अब भी जारी है। 20 साल पुरानी चार मंजिला इमारत के गिरने के बाद 12 घंटे से ज्यादा समय तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।

हादसे के बाद, एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस की टीमों ने घायलों को जेटीबी अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस के मुताबिक, इमारत में 22 लोग

■ बिल्डिंग के मालिक तहसीन व उसके परिवार के 6 सदस्य भी हादसे में मारे गये।

थे। इनमें बिल्डिंग के मालिक तहसीन और उनके परिवार के 6 सदस्य भी मारे गए। इनमें 3 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। हिविजनन फायर ऑफिसर राजेन्द्र अटवाल ने बताया कि देर रात एक मकान दहने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचे तो पता चला कि पूरी बिल्डिंग दह गई है और लोग मलबे में फंसे हुए हैं।

दरअसल, शुक्रवार रात दिल्ली में मौसम ने अचानक करबट ली थी। तेज बारिश और आंधी-तूफान के चलते कई इलाकों में नुकसान हुआ। माना जा रहा है कि इसी वजह से मुस्तफाबाद की यह इमारत भी दह गई।

रूपये की राशि आवंटित करने की स्वीकृति दी। और ऐसी ही स्थिति पाली, बाढ़मेर, सीकर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर में भी देखी गई।

दस्तावेजों को देखने से जाहिर होता है कि पहले यह स्वीकृति मेडिकल उपकरणों को खरीदने के लिये दी गयी थी, जो नियमों में स्वीकृत है, परंतु यह फंड कुछ गिनी चुनी कंपनियों को अस्वीकृत निर्माण कार्य करने के लिये दिया गया।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इन तथाकथित आई.सी.यू., एन.आई.सी.यू. और पी.आई.सी.यू. में, स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत इंडियन पब्लिक हैल्थ स्टैंडर्ड्स (आई.पी.एच.एस.) की गाइड लाईंस की पालना नहीं की गई, जिनके अनुसार, 1.5० वर्ग फीट के दायरे में सिर्फ एक मरीज का बिस्तर होना अनिवार्य है, ताकि मरीजों में संक्रमण न फैले।

(क्रमशः)